

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] No. 117] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2015/फाल्गुन 7, 1936

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2015/PHALGUNA 7, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 125(अ).—प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का नाम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2015 होगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में,
 - (i) नियम 2 में, खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
 - "(ड.) "सार्वजनिक शेयरधारिता" का अभिप्राय निक्षेपागार प्राप्तियों के आधारभूत शेयर सहित जनता के स्वामित्वाधीन कंपनी के इक्विटी शेयर हैं, यदि ऐसी निक्षेपागार प्राप्तियों का धारक मतदान संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार रखता हो और ऐसी निक्षेपागार प्राप्तियों को निक्षेपागार प्राप्ति स्कीम, 2014 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया हो।"

972 GI/2015 (1)

बशर्ते कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा तैयार विनियमनों के अधीन कर्मचारी हितार्थ योजनाओं को लागू करने के लिए गठित न्यास के स्वामित्वाधीन कंपनी के इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारिता से बाहर रखे जाएंगे।

(ii) नियम 19 में, उप-नियम (2) में, खंड (ख) में , उप-खंड (i) से पूर्व, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामत:

"पेशकश संबंधी दस्तावेज के अनुसार जनता के लिए न्यूनतम पेशकश और आबंटन इस प्रकार होगा –"

- (iii) नियम 19क में, उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित नया उप-नियम अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामत:
- "(4) जहां किसी सूचीबद्ध कंपनी की सार्वजनिक शेयरधारिता, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2015 के परिणामस्वरूप पच्चीस प्रतिशत से कम पड़ती हो, वहां ऐसी कंपनी अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ढंग से निम्नलिखित की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अविध में यथास्थिति बढ़ाकर कम से कम पच्चीस प्रतिशत करेगी:
 - (क) निक्षेपागार प्राप्ति योजना, 2014 ऐसे मामलों में जहां इस योजना के कारण सार्वजनिक शेयरधारिता पच्चीस प्रतिशत से कम पड़ जाती हो;
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 ऐसे मामलों में जहां ऐसे विनियमनों के कारण सार्वजनिक शेयरधरिता पच्चीस प्रतिशत से कम पड़ जाती हो।"

[फा. सं. 9/1/2013-ईसीबी]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या की एस.आर.ओ. सं. 576 दिनांक 21 फरवरी, 1957 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित संख्यांकों के तहत संशोधित किए गए :-

- सा.का.नि. 1096, दिनांक 14 जुलाई,
 1967;
- सा.का.नि. 685, दिनांक 3 जून,
 1972;
- सा.का.नि. 959, दिनांक 8 अगस्त,
 1972;
- सा.का.नि. 2641, दिनांक 1 नवम्बर,
 1975;
- सा.का.नि. 1083, दिनांक 11 नवम्बर, 1985;

- सा.का.नि. 666 (अ.), दिनांक 20 जुलाई, 1987;
- 7. सा.का.नि. 1070 (अ.), दिनांक 15 नवम्बर, 1988;
- 8. सा.का.नि. 870 (अ.), दिनांक 13 नवम्बर, 1992;
- 9. सा.का.नि. 617 (अ.), दिनांक 20 सितम्बर, 1993;
- सा.का.नि. 749 (अ.), दिनांक 12
 अक्तूबर, 1994;

- सा.का.नि. 790 (अ.), दिनांक 7
 नवम्बर, 1994;
- 12. सा.का.नि. 121 (अ.), दिनांक 9 मार्च, 1995:
- 13. सा.का.नि. 291 (अ.), दिनांक 27 मार्च, 1995;
- सा.का.िन. 581 (अ.), दिनांक 23
 दिसम्बर, 1996;
- सा.का.नि. 654 (अ.), दिनांक 8
 अगस्त, 2000;
- सा.का.नि. 655 (अ.), दिनांक 8
 अगस्त, 2000;
- 17. सा.का.नि. 415 (अ.), दिनांक 7 जून,2001;
- 18. सा.का.नि. 696 (अ.), दिनांक 28 अगस्त, 2003:

- 19. सा.का.नि. 395 (अ.), दिनांक 10 जून, 2009;
- 20. सा.का.नि. 469 (अ.), दिनांक 4 जून,2010:
- 21. सा.का.नि. 662 (अ.), दिनांक 9 अगस्त, 2010;
- सा.का.नि. 705 (अ.), दिनांक 24
 अक्तूबर, 2013
- 23. सा.का.नि. 21 (अ.), दिनांक 16 जनवरी, 2014
- 24. सा.का.नि. 611 (अ.), दिनांक 22 अगस्त, 2014
- सा.का.नि. 682 (अ.), दिनांक 19
 सितम्बर, 2014; और
- 26. सा.का.नि. 819 (अ.), दिनांक 18 नवम्बर, 2014

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2015

- **G.S.R. 125(E).**—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act of 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, namely:—
- 1. (1) These rules may be called as Securities Contracts (Regulation) (Amendment) Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957:—
 - (i) in rule 2, for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(e) "public shareholding" means equity shares of the company held by public including shares underlying the depository receipts if the holder of such depository receipts has the right to issue voting instruction and such depository receipts are listed on an international exchange in accordance with the Depository Receipts Scheme, 2014:

Provided that the equity shares of the company held by the trust set up for implementing employee benefit schemes under the regulations framed by the Securities and Exchange Board of India shall be excluded from public shareholding.";

(ii) in rule 19, in sub-rule (2), in clause (b), before sub-clause (i), the following shall be inserted, namely:—

"The minimum offer and allotment to public in terms of an offer document shall be-";

- (iii) in rule 19A, after sub-rule (3), the following new sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(4) Where the public shareholding in a listed company falls below twenty-five per cent. in consequence to the Securities Contracts (Regulation) (Amendment) Rules, 2015, such company shall increase its public shareholding to at least twenty-five per cent. in the manner specified by the Securities and Exchange Board of India within a period of three years, as the case may be, from the date of notification of:
 - (a) the Depository Receipts Scheme, 2014 in cases where the public shareholding falls below twenty five per cent. as a result of such scheme;
 - (b) the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 in cases where the public shareholding falls below twenty-five per cent., as a result of such regulations."

[F.No. 9/1/2013-ECB]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy. (FM)

Note: The principal rules were published *vide* Gazette Notification number S.R.O. 576, dated the 21st February, 1957 and subsequently amended vide notification numbers as under:

- (1) G.S.R 1096, dated the 14th July, 1967;
- (2) G.S.R. 685, dated the 3rd June, 1972;
- (3) G.S.R. 959, dated the 8th August, 1972;
- (4) G.S.R. 2641, dated the 1st November, 1975;
- (5) G.S.R. 1083, dated the 11th November, 1985;
- (6) G.S.R. 666(E), dated the 20th July, 1987;
- (7) G.S.R. 1070(E), dated the 15th November, 1988;
- (8) G.S.R. 870(E), dated the 13th November, 1992;
- (9) G.S.R. 617(E), dated the 20th September, 1993
- (10) G.S.R. 749(E), dated the 12th October, 1994;
- (11) G.S.R. 790(E), dated the 7th November, 1994;
- (12) G.S.R. 121(E), dated the 9th March, 1995;
- (13) G.S.R. 291(E), dated the 27th March, 1995;
- (14) G.S.R. 581(E), dated the 23rd December, 1996:

- (15) G.S.R. 654(E), dated the 8th August, 2000;
- (16) G.S.R. 655(E), dated the 8th August, 2000:
- (17) G.S.R. 415(E), dated the 7th June, 2001;
- (18) G.S.R. 696(E), dated the 28th August, 2003;
- (19) G.S.R. 395(E), dated the 10th June, 2009;
- (20) G.S.R. 469(E), dated the 4th June, 2010;
- (21) G.S.R. 662(E), dated the 9th August, 2010;
- (22) G.S.R.705(E), dated the 24th October, 2013;
- (23) G.S.R. 21(E), dated the 16th January, 2014;
- (24) G.S.R. 611(E), dated the 22nd August, 2014;
- (25) G.S.R. 682(E), dated the 19th September, 2014; and
- (26) GSR. 819(E), dated the 18th November, 2014.